पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.

कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांकः 1281 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 दिनांक : 20 /09/2010

कार्यालय ज्ञाप

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफॅ उत्तराखण्ड लि0 में सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों को चिकित्सालय में भर्ती के दौरान अथवा कुछ विशेष रोगों में वाह्य रोगी के दौरान चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने का प्राविधान है जिसके लिये निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन के पैनल में लिये जाने हेतु पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफॅ उत्तराखण्ड लि0 निम्नानुसार नीति घोषित करते हैं।

1. **कमेटी का गठनः–**

कारपोरेशन को दो परिचालन एवं अनुरक्षण, क्षेत्र (गढवाल क्षेत्र, कुमायुँ क्षेत्र) में बांटा गया है। निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के प्रयोजार्थ कारपोरेट स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष महाप्रबन्धक मा0सं0 होंगे इसके साथ ही पैनल में एक सदस्य गढवाल क्षेत्र,/कुमायुँ क्षेत्र के महाप्रबन्धक, तथा एक सदस्य कार्मिक अनुभाग के कोई अधिकारी होगें। इस प्रकार कमेटी का गठन निम्नवत किया जाता है।

1.	**महाप्रबन्धक (मा0सं0)**	**अध्यक्ष**
2.	**महाप्रबन्धक (परि0एवंअनु0) गढवाल एवं कुमॉयु क्षेत्र (सम्बन्धित क्षेत्र से)**	**सदस्य**
3.	**वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0)**	**सदस्य एवं संयोजक**

2. **निजी चिकित्सालयों को कारपोरेशन के पैनल में लिये जाने हेतु मानदण्डः–**

2.1 कारपोरेशन द्वारा उत्तरांचल के मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 30 तथा पर्वातीय क्षेत्रों में कम से कम 15 पलंग वाले अस्पतालों को ही मान्यता दिये जाने पर विचार किया जायेगा। चूँकि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी पद्धती से रोगों की चिकित्सा कराने तथा दन्त, नेत्र, नाक–कान–गला से सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा हेतु चिकित्सालय में भर्ती होना अनिवार्य नहीं होता है, अतः इनको मान्यता देने हेतु पलंग सम्बन्धी प्रतिबन्ध प्रभावी नहीं होगा। Super Speciality Hospital के मामलों में भी पलंग सम्बन्धी प्रतिबन्ध शिथिल रहेगा।

2.2 चिकित्सालयों में विभिन्न चिकित्सा सम्बन्धि अपने विशेषज्ञ चिकित्सक व पैरामैडिकल स्टाफ पर्याप्त रूप में होना अनिवार्य होगा

2.3 अस्पतालों में ICU/ECG सहित निम्न परीक्षणों की सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहियेः–

अ– पैथोलॉजी से सम्बन्धित सभी परीक्षण

ब– एक्स रे

स– अल्ट्रा साउन्ड इत्यादि।

क्रमशः....2/–

2.4 चिकित्सालय पूर्व में किसी पुलिस केस/न्यायालय/कनज्यूमर फोरम द्वारा दण्डित न किया गया हो इसकी पुष्टि चिकित्सालय प्रबन्धन शपथ पत्र पर करेगा।

2.5 चिकित्सालय प्रबन्धन को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने एवं पारित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर मान्यता समाप्त किये जाने की सहमति रू0 100.00 (रू0 एक सौ मात्र) के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर देनी होगी।

2.6 छः माह से कम अवधि से संचालित चिकित्सालयों को मान्यता दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा किन्तु Super Speciality Hospital हेतु यह अवधि मान्य नहीं होगी।

2.7 चिकित्सा दरों में स्थान विशेष के चिकित्सालयों में समानता होनी चाहिये।

2.8 अत्याधुनिक सुविधाओं वाले चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों (Super Speciality Hospital) की दर समान सुविधा वाले अन्य चिकित्सालयों के तुलनात्माक होनी चाहिये।

2.9 चिकित्सालय विशेष रूप से साफ एवं स्वच्छ होना चाहिये।

2.10 चिकित्सालय प्रबन्धन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कारपोरेशन के कार्मिकों का उपचार में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

2.11 चिकित्सालय, आयकर अधिनियम–1961 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो।

3. अस्पतालों की मान्यता समाप्त करने के मानदण्डः–

3.1 किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशि लिये जाने की शिकायत (शिकायत के साथ बिल भी संलग्न किया जाना आवश्यक है) की जांचोपरान्त शिकायत सही पाये जाने की स्थिती में।

3.2 दर सूची में जो मद देय नहीं है किन्तु वे चिकित्सालय द्वारा चिकित्सालय के बिल में सम्मिलित किये जाते हैं तो उसे मान्यता का उल्लंघन माना जायेगा।

3.3 अगर कोई अस्पताल पुलिस केस में, कन्जयूमर फोरम अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता तत्काल समाप्त कर दी जायेगा।

3.4 अगर किसी चिकित्सालय के विरूद्ध मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायतें प्राप्त होती है तो उसकी जांच कर चिकित्सालय की मान्यता तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

3.5 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा निर्गत मान्यता सम्बन्धी आदेशों के किसी भी बिन्दु की अवहेलना करने पर चिकित्सालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

3.6 चिकित्सालय द्वारा कारपोरेशन पैनल में मान्यता प्राप्ति के समय दिये गये चिकित्सा दरों को चिकित्सालय द्वारा निर्धारित अवधि तक बढाया नहीं जायेगा इस इस प्रकार के कार्यवाही को मान्यता की शर्तो का उल्लघन माना जायेगा तथा चिकित्सालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी। एक वर्ष के उपरान्त चिकित्सालय यदि चिकित्सा दरों में बढोत्तरी करता है तो वह कारपोरेशन को इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्यों से भली–भॉति अवगत करायेगा।

क्रमशः....3/–

4. <u>कारपोरेट समिति का प्रस्तावः—</u>

4.1 कारपोरेट कमेटी उपरोक्त मापदण्ड पूरा करने वाले चिकित्सालयों के कारपोरेशन पैनल में मान्यता हेतु प्रस्ताव अपनी सुस्पष्ट आख्या/संस्तुति सहित निदेशक (मा0सं0) पिटकुल को प्रस्तुत करीगी।

4.2 कारपोरेट कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को निदेशक (मा0सं0) द्वारा परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति सहित प्रबन्ध निदेशक पिटकुल को प्रेषित किया जायेगा चिकित्सालय को पैनल में लिये जाने हेतु अन्तिम निर्णय प्रबन्ध निदेशक पिटकुल को होगा।

4.3 चिकित्सालय को पैनल में लिये जाने विषयक आदेश के साथ संगत शर्तों में चिकित्सालय प्रबन्धन के भी हस्ताक्षर करा लिये जायेंगे।

4.4 किसी भी चिकित्सालय को प्रथम बार न्यूनतम 01 वर्ष तथा अधिकतम 03 वर्षों हेतु कारपोरेशन के पैनल में लिया जायेगा निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात मान्यता अवधि बढाये जाने हेतु कारपोरेट कमेटी सम्बन्धित चिकित्सालय की चिकित्सा सुविधाओं का मूल्यांकन कर अपनी सुस्पष्ट आख्या एवं संस्तुति निदेशक (मा0सं0) को प्रेषित करेंगी जिस पर निदेशक (मा0सं0) विचार कर प्रबन्ध निदेशक के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1281 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0—5 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल 7बी, लेन—1 बसन्त विहार एन्कलेव देहरादून।
2. निदेशक (मा0सं0/वित्त), पिटकुल 7बी, लेन—1 बसन्त विहार एन्कलेव देहरादून।
3. अधिशासी निदेशक (परियोजना), ऊर्जा भवन परिसर, कांवली रोड, देहरादून।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (परि0एवंअनु0), 650, कांवली रोड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.....।
6. समिति के समस्त सदस्य।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता पिटकुल।
8. कार्यालय ज्ञाप पंजिका/कट फाईल/सम्बन्धित पत्रावली।

(एस0 के0 शर्मा)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)

पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Ltd.
कारपोरेट आफिस
CORPORATE OFFICE
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
Human Resource & Administration

पत्रांक : 1430 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 दिनांक : 23/09/2011

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा कारपोरेशन के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मिकों/पारिवारिक पेन्शनरों तथा उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनों को चिकित्सालय में भर्ती के दौरन चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य किये जाने हेतु निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों का कारपोरेशन पैनल पर लिये जाने हेतु पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 1281/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 20.09.2010 द्वारा घोषित नीति में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

पूर्व प्राविधान	संशोधन
2.1:– कारपोरेशन द्वारा उत्तराचंल के मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 30 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 15 पंलग वाले अस्पतालों को ही मान्यता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।	कारपोरेशन द्वारा उत्तराखण्ड के मैदानी/पर्वतीय क्षेत्रों में 15 या 15 से अधिक पंलग वाले चिकित्सालयों को ही मान्यता दिये जाने पर विचार किया जायेगा। 2.1 में दिये गये प्राविधान का अन्य अंश के सम्बन्ध में मानदण्ड पूर्ववत ही रहेगा।
2.11:– चिकित्सालय, आयकर अधिनियम–1961 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो।	आयकर अधिनियम–1961 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने का दायित्व सम्बन्धित चिकित्सालय का है। अतः यह प्राविधान समाप्त किया जाता है।

निजि चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को कारपोरेशन पैनल पर लिये जाने हेतु पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या 1281/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–5 दिनांक 20.09.2010 द्वारा घोषित नीति के अन्य प्राविधान यथावत प्रवृत्त होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 1430 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी0–5 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
2. निदेशक (परिचालन एवं अनुरक्षण)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल ....।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (मा0सं0), पिटकुल, 7–बी, लेन नं0–1, बसन्त विहार एन्क्लेव, देहरादून।
5. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, पिटकुल, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि वह आदेश को पिटकुल की वैबसाइट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल ....।

(एस0 के0 शर्मा)
निदेशक (मा0सं0)